24

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुड़ी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 285/2021

अशोक कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी दुलोठ अहीर पुलिस थाना महेन्द्रगढ़ जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

——प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं विभागीय प्रतिनिधि झुंझुनूं।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पालना करवाने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत प्रकरण संख्या 165/2021 बमुकदमा उनवानी अशोक कुमार बनाम राजस्थान सरकार आदेश दिनांक 13.09.2021

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट–प्रार्थी की ओर से।
2. श्रीमती अनामिका, प्रर्वतन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि।

आदेश

दिनांक 21.03.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक की ओर से आदेश दिनांक 13.09.2021 की पालना हेतु प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रकार पेश है कि प्रार्थी वाहन पिक–अप नं0 एच0आर0 66 बी0 0483 का रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रार्थी ने उक्त वाहन को उक्त प्रकरण में सुपुर्दगी पर लेने बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24.08.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2021 में जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को निर्देशित किया गया कि वह जप्त डीजल 200 लीटर का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लोज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करे जो जमा राशि एफ0आई0आर0 नं0 59/2021 (आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अधीन रहेगी तथा जप्त वाहन पिक–अप संख्या एच0आर0 66 बी0 0483 को 3–3 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी द्वारा जप्त शुदा डिजल राजसात करने के बाद ही गाडी की सुपुर्दगी दी जावे आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पचेरी कलां को पालनार्थ प्रेषित किया गया। दिनांक 14.09.2021 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी की ओर से 3–3 लाख रूपये के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेशकर तस्दीक कराये गये। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वाहन पिक–अप नं0 एच0आर0 66 बी0 0483 को रिलीज करने हेतु रिलीज जारी की गई तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं व पुलिस थाना पचेरी कलां को भी माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति जारी की गई। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2021 की पालना जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा नही की जा रही है प्रार्थी के द्वारा पूर्व में भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना हेतु निवेदन किया गया था परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नही की जा रही है। प्रार्थी का वाहन दिनांक 31.03.2021 से पुलिस थाना पचेरी कलां में जप्त है और माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में सुपुदर्गी का आदेश होने के बाद भी जिला रसद अधिकारी द्वारा पालना नही की जा रही है। अतः पार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

09.2021 की पालना जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं से करवाई जाकर प्रार्थी के वाहन पिक–अप नं0 एच0आर0 66 बी0 0483 के सम्बन्ध में होने वाली कार्यवाही को पूर्ण करवाकर पुलिस थाना पचेरी कलां से उक्त वाहन रिलीज करवाने की कृपा करें

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 575 दिनांक 07.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण सं0 165/2021 मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2021 को निर्णय पारित किया गया। निर्णयानुसार इस कार्यालय द्वारा जप्तशुदा 200 लीटर डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के बिन्दू सं0 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर राजसात करने के बाद गाडी की सुपुर्दगी के आदेश प्रदान किये गये है। इस कार्यालय के पत्रांक 378 दिनांक 08.11.2021, 245 दिनांक 08.12.2021 एवं 278 दिनांक 03.01.2022 द्वारा उप विधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से जप्तशुदा खाद्यान एवं पेट्रोलियम की नियंत्रित कीमत क्या है, जानकारी चाही गई जो आदिनांक तक अप्राप्त है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त वाहन को उक्त प्रकरण में सुपुर्दगी पर लेने बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24.08.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2021 में जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को निर्देशित किया गया कि वह जप्त डीजल 200 लीटर का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लोज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करे जो जमा राशि एफ0आई0आर0 नं0 59/2021 (आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अधीन रहेगी तथा जप्त वाहन पिक–अप संख्या एच0आर0 66 बी0 0483 को 3–3 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी द्वारा जप्त शुदा डिजल राजसात करने के बाद ही गाडी की सुपुर्दगी दी जावे आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पचेरी कलां को पालनार्थ प्रेषित किया गया। दिनांक 14.09.2021 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी की ओर से 3–3 लाख रूपये के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेशकर तस्दीक कराये गये। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी कें पक्ष में वाहन पिक–अप नं0 एच0आर0 66 बी0 0483 को रिलीज करने हेतु तहरीर जारी की गई तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं व पुलिस थाना पचेरी कलां को भी माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति जारी की गई। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2021 की पालना जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा नही की जा रही है प्रार्थी के द्वारा पूर्व में भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना हेतु निवेदन किया गया था परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नही की जा रही है। प्रार्थी का वाहन दिनांक 31.03.2021 से पुलिस थाना पचेरी कलां में जप्त है और माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में सुपुदर्गी का आदेश होने के बाद भी जिला रसद अधिकारी द्वारा पालना नही की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2021 की पालना जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं से करवाई जाकर प्रार्थी के वाहन पिक–अप नं0 एच0आर0 66 बी0 0483 के सम्बन्ध में होने वाली कार्यवाही को पूर्ण करवाकर पुलिस थाना पचेरी कलां से उक्त वाहन रिलीज करवाने की कृपा करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:28 IST
Reason: SelfAttested

विभागीय प्रतिनिधि ने वकील प्रार्थी [illegible] तर्क प्रस्तुत किया कि इस कार्यालय के पत्रांक 378 दिनांक 08.11.2021, 245 दिनांक 08.12.2021 एवं 278 दिनांक 03.01.2022 द्वारा उप विधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से जप्तशुदा खाद्यान एवं पेट्रोलियम की नियंत्रित कीमत क्या है, जानकारी चाही गई जो आदिनांक तक अप्राप्त है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 क के उप बिन्दू 2 (2) मे स्पष्ट है कि जहां नियंत्रित मूल्य नियत नही है

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(21)

वहां लोक निलामी द्वारा ऐसी जप्तशुदा सामग्री के विक्रय का आदेश दिया जा सकता है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। विभागीय प्रतिनिधि का यह कथन उचित है कि उनके कार्यालय के पत्रांक 378 दिनांक 08.11.2021, 245 दिनांक 08.12.2021 एवं 278 दिनांक 03.01.2022 द्वारा उप विधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से जप्तशुदा खाद्यान एवं पेट्रोलियम की नियंत्रित कीमत क्या है, जानकारी चाही गई जो आदिनांक तक अप्राप्त है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 क के उप बिन्दू 2 (2) मे स्पष्ट है कि जहां नियंत्रित मूल्य नियत नही है वहां लोक निलामी द्वारा ऐसी जप्तशुदा सामग्री के विक्रय का आदेश दिया जा सकता है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि जप्तशुदा डीजल 200 लीटर को खुली निलामी मे विक्रय कर राशि राजकोष मे जमा करावें एवं जप्त वाहन पिकअप सं0 एचआर 66बी 0483 को वाहन मालिक **की सुपुर्दगी दी जावे**। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पचेरी कलां को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:28 IST
Reason: SelfAttested